

International Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2230-7850

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian
University, Oradea, Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political
Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktrir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of
Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pinteau,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh, Ratnagiri, MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play, Meerut (U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director, Hyderabad AP India.

S. Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Yalikal
Director Management Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University, TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University



महिलाओं के उत्थान एवं विकास में गांधी जी की प्रसंगिकता एवं भारतीय कानून

रोमा मुखर्जी,

प्राध्यापक शासकीय राज्य स्तरीय स्नातकोत्तरविधि महाविद्यालय, भोपाल

सारांश :- विश्व में मातृ शक्ति से अधिक और कोई भी पूज्यनीय नहीं है परिवार में प्रेम, वात्सल्य ममता अनुराग की प्रतिमूर्ति तथा गृहस्थ जीवन को सफ लता पूर्वक संचालित करने वाली शक्ति का नाम ही महिला है। महिलाओं के बिना न तो गृहस्थ जीवन की गाडी चल सकती है और न ही पुरुष की उत्पत्ति हो सकती है। यद्यपि शारीरिक बल में वह पुरुष की तुलना में कमजोर है, फिर भी आत्मिक नैतिक एवं सहनशीलता में वह पुरुष से श्रेष्ठ है। महिलाएँ विभिन्न कालों में अपमानित एवं तिरस्कृत हुई हैं, किन्तु अनेक विद्वानों, समाज सुधारकों एवं राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों एवं समाज सुधारकों ने महिला उत्थान एवं उन्हें दीन हीन एवं असहाय स्थिति से उभारने के लिए समय-समय पर अनेक सुधार आन्दोलन चलाये हैं।

प्रस्तावना :-

१९वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत बंगाल से हुआ। राजा राम मोहन राय ने १८१४ में कलकत्ता में "आत्मीय सभा" की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ गंभीर आन्दोलन चलाया। एक समय था जब अलाउद्दीन खिलजी व फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में जौहर प्रथा के साथ-साथ सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा अनिवार्य तो नहीं थी परन्तु जो विधवा सती नहीं होती थी, उसे अत्यन्त अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों १८२६ में अंग्रेजी शासन ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। एनी बेसेन्ट ने महिला शिक्षा, महिला पुनर्विवाह का समर्थन किया। हिन्दुओं में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन अपनी कन्याओं को सुल्तानों की हवस से बचाने के लिए था। एनी बेसेन्ट ने बाल विवाह के विरुद्ध भी आवाज उठाई। १८४७ में आयरलैण्ड में जन्मी महिला एनी बेसेन्ट भारत की दत्तक पुत्री के नाम से जानी जाती थी। भारत आने से पहले एनी विसेन्ट की पहचान अंग्रेज समाज सुधारक और नारीवाद स्वयं सेविका के रूप में थी। वे थियोसोफिकल सोसायटी का प्रचार करने भारत में आयी और भारत के स्नेह की बेडियों में जकड़ गई। ईश्वर चन्द्र विधासागर ने विधवा विवाह, प्रेम विवाह तथा स्त्री आंदोलन के लिए किया। उन्हीं के प्रयासों से १८५६ में विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ। स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर महिलाओं के कष्ट दूर करने का प्रयास किया। उन्होने बाल विवाह की निंदा की। स्वामी विवेकानन्द स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। विधवा स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक मठ स्थापित किये। उनका कहना था कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व कल्याण का कोई मार्ग नहीं है

महात्मा गांधी के समक्ष भी महिलाओं की दीन हीन दशा का उपर्युक्त परिदृश्य था गांधी जी शोषित, अपमानित और जर्जरित मानवता के मसीहा थे। महिला को कमजोर, अबला और असहाय कहना गांधीजी की दृष्टि में न्याय संगत नहीं है। गांधीजी द्वारा किए गए प्रयास बीसवीं शताब्दी में बहुत प्रभावी हुए। उन्होने "अबला" कहे जाने वाले समाज के इस वर्ग को ऊपर उठाने के सराहनीय आंदोलन किये। वे महिलाओं और पुरुषों को समान राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित करते थे। उन्हीं के प्रयासों से "असहयोग आन्दोलन" में भारतीय स्त्रियाँ दुर्गा बनकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। गांधी जी दहेज प्रथा, बाल विवाह तथा कुलीन विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होने अन्तर्जातीय विवाह पर बल दिया। गांधी जी ने समय-समय पर अंग्रेजी सरकार को महिलाओं की दशा सुधारने सम्बन्धी पत्र भेजते थे।

ज्ञमलू वतके - महिला अबला नहीं है, महिला पुरुष से कम नहीं, स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक है, राजनैतिक क्षेत्र में महिला की भागीदारी।

भूमिका :- गांधी जी द्वारा महिलाओं के उत्थान में किये गये प्रयासों को संक्षेप में निम्नानुसार उल्लेख किया जा रहा है।

गांधी जी के अनुसार महिला अबला नहीं है नारी को अबला कहना उसकी निंदा है। यह पुरुष और नारी के प्रति अन्याय है। उनका मानना था कि स्त्री के बिना पुरुष का कोई महत्व नहीं है। यदि अहिंसा मानव जाति का एक मौलिक यंत्र है जो भविष्य नारी जाति के हाथ में है। ममता, प्यार, अपनत्व की भावनाओं से हृदय को आकर्षित करने के गुण स्त्री से ज्यादा किसमें हो सकता है? जब स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और वह परस्पर सहयोग और सम्बन्ध की शक्तियों का पूरा-पूरा विकास कर लेंगी तो संसार स्त्री शक्ति का सम्पूर्ण विलक्षणता और गौरव के साथ परिचय पा सकेगा^२। महिला आत्म त्याग की मूर्ति है। टॉल्स्टॉय ने कहा है वे पुरुष के सम्मोहक प्रभावों से आक्रान्त है यदि वे अहिंसा की शान्ति पहचान ले तो अपने को अबला कहे जाने के लिए हरगिज राजी नहीं होगी^३।

गांधी जी के उपरोक्त विचारों के आधार पर महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समापन पर अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा १८ दिसम्बर १९७६ से अंगीकृत किया गया था। यह अभिसमय ३ सितम्बर १९८१ को लागू हुआ।

इसी प्रकार सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा १९६० के अनुच्छेद २ भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद ३ में पुरुष एवं महिला में समानता तथा अनुच्छेद २६ में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया। यहाँ गांधी जी के आन्दोलन को अन्तराष्ट्रीय मान्यता मिली।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद १५ में महिलाओं के लिए विशेष उपबन्ध किया गया।

अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्नलिखित उपबन्ध हैं :-

१. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा।

२. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर:-

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश,

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तलाबों, स्नानाघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्धों में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पुरुष और महिला होने के आधार पर उपरोक्त प्रकार का विरोध नहीं किया जायेगा।

महिला अब अबला नहीं है। श्रीमती क्रेकनेल बनाम सेट ऑफ यू.पी.^४ के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी महिला को मात्र महिला होने के कारण सम्पत्ति धारण करने अथवा उसका उपयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोर्ट विधि इस आधार पर सम्पत्ति से वंचित करती है तो वह असंवैधानिक मानी जायेगी।

महिला पुरुष से कम नहीं:-

गांधी जी महिलाओं को पुरुष से किसी भी स्थिति में हेय नहीं मानते थे भेद नहीं करते थे। वीरता केवल पुरुषों की वपौती नहीं है^५। महिलाओं का स्वयं को पुरुषों को अधीन या उनसे हीन सामझने का कोई कारण नहीं है। वे स्त्री को पुरुष का एक ऐसा साथी मानने की कल्पना की थी कि समान बौद्धिक क्षमताओं से पूरा करते हुए मनुष्य के जीवन की प्रत्येक क्रिया कलापों में समान रूप से भाग लेने के अधिकार को रखती है^६।

स्त्री पुरुष समानता:-

गांधी जी की दृष्टि में प्रत्ये सामाजिक स्थिति में स्त्रियों का समान महत्व है। लड़के तथा लड़की में गांधी जी ने कोई अंतर न मानते हुए कहा है कि "मैं पुत्र एवं पुत्री में कोई अंतर नहीं मानता"। पुत्र तथा पुत्री के जन्म का समान रूप से स्वागत किया जाना चाहिए^७। गांधी जी स्त्री पुरुष की समानता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे। गांधी जी के उपरोक्त विचार को आज कानूनी मान्यता विधान मंडल द्वारा विधि का सृजन कर पूर्ण करने का प्रयास जारी है।

स्त्री एव पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं :-

गांधी जी के अनुसार स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है। स्त्री पुरुष की सहचरी है। उसकी मानसिक शक्तियां पुरुष से कम नहीं है स्त्री पुरुष के छोटे से छोटे कार्य में सहभागी बनने का अधिकार रखती है। पुरुष ने स्त्री को अपनी कठपुतली समझ लिया है। स्त्री को अब इसका अहसास हो गया है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि यदि देश की सही शिक्षा यह होगी कि स्त्री को अपने पति से "न" कहने की कला सिखायी जाए और यह बताया जाए कि पति की कठपुतली या उसके हाथों की गुडिया बनके रहना उसके कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। स्त्री को उसके विशिष्ट अधिकार और अपने कर्तव्य हैं। जिस दिन महिला यह सीख लेगी पुरुष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है^६।

बाल विवाह एवं अनमेल विवाह:-

गांधी जी समाज में बाल विवाह प्रथा के सन्दर्भ में काफी दुःखी थे इस व्यवस्था से गांधी जी की भावनाओं पर बहुत ठेस पहुंचा था। इस प्रथा में एक अवयस्क लड़की का विवाह किसी अर्ध उम्र के पुरुष के साथ कर दिया जाता था। बाल विवाह में निहित बुराई को वे शारीरिक दोष के रूप में नहीं देखते थे, अपितु नैतिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से वह उसे हेय (नीच) मानते थे। गांधी जी के अनुसार बाल विवाह एक अनैतिक एवं अमानवीय कृत्य है। जिससे सीधी-साधी (भोली-भाली) लड़कियाँ पुरुषों की विषय-वासना की पूर्ति का साधन बनती है, छोटी उम्र में ही माँ बन गई लड़कियों का स्वास्थ्य नष्ट होता है। और इन सबसे आगे बढ़कर वे लड़कियाँ विधवाओं की दुर्गति को प्राप्त होती हैं^६।

गांधी जी को उपरोक्त विचारों के कारण बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु २१ वर्ष और लड़की के लिए १८ वर्ष तय की गई है। विधवा विवाह व अन्तर्जातीय विवाह के लिए कानून बनाये गये। यह नहीं अब शिक्षित होने के बाद लड़के लड़की का विवाह से पूर्व एक दूसरे को देखना एवं मिलना आवश्यक मानते हैं। अब विवाह में माता-पिता की पसंद या नापसंद का ख्याल आज के युवक एवं युवती पर कोई प्रभाव नहीं करता। वे अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कानून उनके साथ है इसलिए हिन्दु विधवा पुनर्विवाह १९५६ एवं बाल विवाह निरोध १९२६ पारित किया गया।

दहेज प्रथा :-

गांधी जी विवाह जैसे पवित्र सामाजिक बंधन को दूषित करने वाली दहेज प्रथा के हमेशा विरोध में थे। इन्होंने इस कुप्रथा की निंदा करते हुए कहा कि "यह लड़कियों को बेचने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है"। गांधी जी तो यह चाहते थे कि "दहेज मांगने वाला हर व्यक्ति विवाह के अयोग्य घोषित किया जाए। विवाह के लिए दहेज चाहने वालों को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाता। उसको नित्य मान सम्मान दिया जाता है" यह हमारा दुर्भाग्य है कि किसी लड़की से शादी करने की कीमत ऐठने की नीचता को निश्चित अयोग्यता नहीं समझा जाता है^{१०}।

गांधी जी के अनुसार दहेज की मांग की प्रथा एक हृदयहीन प्रथा है जब वर कन्या के पिता से विवाह करने के बदले दहेज लेता है तब नीचता की हद हो जाती है^{११}। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दहेज प्रताड़ना या दहेज हत्या के लिए गांधी जी उस सोच को सरकार द्वारा दहेज निरोध अधिनियम १९६१ पारित किया गया। दहेज प्रथा के दंडिक प्रावधानों को १९८६ में कठोर बना दिया गया। दहेज की मांग करना भी एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को ०२ वर्ष तक की कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, चाहे भले ही दहेज की मांग पूरी न किये जाने के कारण विवाह सम्पन्न न हो सका हो।

गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता आज २१वीं शताब्दी में कानून के रूप में परिलक्षित हो गया है।

वेश्यावृत्ति:-

गांधी जी पद दलित महिलाओं को कभी नहीं भूलते थे। वे इस देश का दुर्भाग्य मानते थे कि स्त्री कुछ धनराशि लेकर अपने तथा अपने शरीर का विक्रय करती है। गांधी जी के विचार से वेश्यावृत्ति समाज पर अभिशापित कलंक है। गांधी जी इस कुप्रथा से अत्यन्त दुःखी थे उन्होंने कहा कि "मेरी आत्मा चीख उठती है जब मैं छोटी उम्र की लड़कियों को अनैतिक कार्यों के लिए बेचने की बात सुनता हूँ^{१२}। वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए कानून बनाने के साथ-साथ लोकमत एवं लोकमानस को जागृति करने वाले गांधी जी ने बल दिया वेश्यावृत्ति उन्मूलन एवं महिला अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम १९८६ गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता के कारण अधिनियमित किए गये। वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु १९५६ में अनैतिक व्यापार कानून पारित किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, नवम्बर २००२ में दिये गये निर्णय में कहा कि वेश्याओं को सम्मान के साथ जीवन यापन का मौलिक अधिकार है। आम लोग सहित पुलिस को भी इनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए एवं इनका उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदेश के

हर शहर में वेश्याओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए योजना तैयार करें जिससे वे अपनी जीविका चला सके यहाँ वेश्यावृत्ति के सम्बन्ध में गांधी जी के विचारों को कानून एवं न्यायालयों द्वारा आज मान्यता दी गई है इस प्रकार गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता आज है।

गौरव जैन बनाम भारत संघ १२ (१९७७) के बाद में उच्चतम न्यायालयों ने राज्य और गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को वेश्यावृत्ति रोकने तथा उनकी सन्तानों को पुनर्वास के लिए समुचित कल्याणकारी उपायों को क्रियान्वित करने के लिए उनको निर्देश दिया। इसके बाद में एक अधिवक्ता की गौरव जैन इन्डिया टुडे पत्रिका में प्रकाशित भारत में वेश्याओं के सन्तानों को समाज कुछ नहीं देता है लेख को पढ़कर अनुच्छेद ३२ के अधीन उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर करके ऐसे महिलाओं तथा उनकी सन्तानों की दशा में सुधार करने के लिए सरकार को समुचित निर्देश या आदेश देने के लिए अनुरोध किया। न्यायालय ने आगे कहा कि आवास की सुविधा, विधिक सहायता, निःशुल्क परामर्श और इस प्रकार की सभी सेवाओं को उपलब्ध कराये जाये जिससे वे रेड लाइट क्षेत्र में न जाएँ १५।

परदा प्रथा:- महिलाओं के उद्धार के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए अभियान का सबसे बड़ा अंग था परदा प्रथा की समाप्ति। गांधी जी स्त्रियों के परदा प्रथा के घोर विरोधी थे। उनके अनुसार, यह प्रथा मानसिक दासता की प्रतीक है, यह व्यवस्था हर तरह से अकल्याणकारी है। यह स्त्री के शरीर एवं मन को हानि पहुँचाता है। १३

भारत के शहरों में पढी लिखी लड़कियों ने परदा करना कम कर दिया है। आज तो परदा प्रथा पूर्णतः समाप्त सी हो गई है। इस प्रकार गांधी जी के विचारों के प्रासंगिकता का प्रभाव स्वतंत्रता के बाद समाज में पड़ा यह कुप्रथा समाप्त हुई।

तलाक एवं विवाह विच्छेद:-

गांधी जी इस बात के समर्थक थे कि स्त्री को स्वाधीनता मिले, उसे अपना जीवन साथी चयन करने का अधिकार मिले। अर्न्तजातीय विवाह को वे बुरा नहीं मानते थे किन्तु गांधी जी तलाक के पक्षपाती नहीं थे, गांधी जी विवाह को एक पवित्र बंधन मानते थे। वे विवाह के माध्यम से स्त्री पुरुष की समानता चाहते थे। उनके अनुसार आदर्श दम्पति वही है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को स्वामी-दासी न मानकर, सच्चा मित्र एवं सहयोगी माने।

गांधी जी उपरोक्त विचार के कारण एक विवाह की प्रथा प्रारम्भ हुई सन् १९५५ में पारित हिन्दु विवाह तथा विच्छेद अधिनियम के पूर्व हिन्दु समाज में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना एक सामान्य बात थी।

हिन्दु विवाह अधिनियम १९५५ विवाह विधियाँ (संशोधन) अधिनियम १९७६ द्वारा संशोधित धारा १३ के अन्तर्गत उन आधारों का उपबन्ध किया गया है। जिन पर कि न्यायालय पति या पत्नी को तलाक (क्वअवतबम) डिक्री पारित कर सकता है।

विशेष विवाह अधिनियम १९५४, विदेशी विवाह अधिनियम, १९६६ अधिनियम पारित किया गया। बाद में अर्न्तजातीय विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार गांधी जी के विचारों के अनुसार स्वतंत्र भारत के बाद स्त्रियों के कल्याण हेतु विवाह अधिनियम समाज के परिवर्तन के साथ पारित किया गया।

आर्थिक अधिकार:-

गांधी जी महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिये जाने की वकालत की। स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता दिये जाने का विरोध इस आधार पर किया जाता रहा कि इससे स्त्रियों में दुराचार फैल जायेगा और घरेलू जीवन बिखर जायेगा, किन्तु गांधी जी को ऐसे विरोध में कोई तार्किकता नजर नहीं आई। लिंग के आधार पर विभेद करना संविधान के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से मना कर दिया गया ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा मिल सके। अनुच्छेद १६ (२) के अन्तर्गत महिलाओं के हित में किये गये विभेद को न्यायोचित ठहराने के लिए अनुच्छेद १५(३) का सहारा लिया जा सकता है।

गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता एवं नरी उत्थान के प्रयासों को न्यायालय ने अपने निर्णयों में सही माना है। विजय लक्ष्मी बनाम पंजब विश्वविद्यालय १४ के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि महिलाओं को विद्यालय में नियुक्ति के लिए महिलाओं हेतु पद आरक्षित कर देना उचित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६ से अनुच्छेद १५ (३) पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।

सी.वी. मुथम्म बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया १५ के बाद में इन्डियन फॉरेन सर्विस (कन्डक्ट एन्ड डिसिप्लिन) नियम १९६१ के अनुसार महिला कर्मचारी को विवाह करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिए तथा यदि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से सेवा में बाधा पहुँचती है तो उसे सेवा से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त सेवा नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६ का उल्लंघन है।

आज गांधी जी की सोच के अनुसार महिलायें आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं वे प्रशासनिक पदों एवं राजनैतिक के उच्च पदों पर आसीन हैं वे अब माता पिता एवं अपने पति पर आश्रित नहीं हैं। गांधी जी के विचार के अनुसार शासकीय सेवा में महिलाओं को आरक्षण देकर सरकार ने उनकी आर्थिक स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है।

अहिंसा की प्रतिनिधि:—

अहिंसा को अपने सर्वाधिक प्रिय सिद्धांत में गांधीजी की आजीवन अडिग आस्था रही। स्त्रियों को वे अहिंसा की प्रतिनिधि मानते थे। अहिंसा में त्याग वृत्ति है, सहन शक्ति है, उदार मनोभावनाएँ हैं और असीम धर्म है। अहिंसा का अर्थ है उन्नत प्रेम और उसका तात्पर्य कष्ट सहने की अनन्त शक्ति, पुरुष की माता, स्त्री से बढ़कर इस शक्ति का परिचय और किसमें अधिक मिल सकता है? अपने गर्भ में नौ मास तक शिशु का पोषण करके और प्रसन्नता पूर्वक प्रसव पीड़ा झेलकर वह इस सामर्थ्य का समुचित प्रमाण देती है। प्रसव पीड़ा से बढ़कर कोई और पीड़ा नहीं है किन्तु सृजन एवं भावी सन्तान के सुख में वह उस घोर पीड़ा को भी भुला देती है स्वयं पीड़ा भोगना और दूसरे काम से कम कष्ट पहुँचना उसके स्वभाव में है। इसलिए अहिंसा उसके लिए अधिक सहज है 96।

गांधी जी उपरोक्त अहिंसा के विचार एवं महिलाओं के प्रसव पीड़ा से राहत दिलाने के लिए गांधी के विचारों की प्रासंगिकता का प्रभाव विधायिका पर पड़ा। स्त्री माता है, पत्नि है बहन है। "मातृत्व" उसका प्राकृतिक लक्षण है। मातृत्व के कारण प्रसूति काल में उसे कई कष्ट झेलने पड़ते हैं व घर से बाहर नहीं निकल पाती। कामकाजी महिलाओं के लिए यह संक्रमण काल होता है, उन्हें अवकाश लेना होता है, नवजात शिशु की देख रेख करनी पड़ती है, आर्थिक व्यवस्था जुटानी पड़ती है। ऐसे समय में महिलाओं को आर्थिक संकट न झेलना पड़े तथा वे नवजात शिशु की देखरेख कर सकें संसद द्वारा 96-97 प्रसूति लाभ अथवा मातृत्व लाभ अधिनियम पारित किया गया।

राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी:—

सार्वजनिक कार्यों में स्त्रियों की उपयोगिता स्वीकार करने के साथ-साथ गांधी जी ने स्त्रियों को राजनीति में पुरुषों के समान क्रियाशील देखना और बनाना चाहते थे। गांधीजी का मानना था कि आज मनुष्य के जीवन पर राजनीति का प्रभाव इतना पड़ गया है कि वह उससे यदि बचने की भी आकांक्षा करने पर भी बच सकता है। वर्तमान राजनीति में आई गिरावट को यदि समाप्त करना है तो स्त्रियों के राजनीति में प्रवेश करने की स्थिति को स्वीकार करना होगा।

गांधी जी ने उपरोक्त विचारों से प्रभावित होकर बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान का 73वाँ व 74वाँ संशोधन अपना अनूठा महत्व रखता है जिसके तहत सन् 96-97 में संविधान में संशोधन कर पंचायती राज्य संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये हैं।

अनुच्छेद 243(2) के अन्तर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है।

अनुच्छेद 243(6) नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान हैं।

संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन द्वारा जोड़े गये 59 (क) में नागरिक के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें स्त्रियों के सम्मान को भी स्थान दिया गया है।

संविधान के भाग 8 में राज्य की नीति निर्देश तत्वों में महिलाओं के लिए कई विशेष उपबन्ध किये गये हैं।

अनुच्छेद 36 (क) राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो अनुच्छेद 36 (घ) स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो बाद में समान पारिश्रमिक अधिनियम 96-97 पारित किया गया।

अनुच्छेद 36(ड) पुरुष और स्त्री कार्यकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 82 राज्य काम की न्याय संगत और मानवांचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा।

संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश कराने में गांधी जी का सर्वाधिक योगदान था। महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अन्य कई संवैधानिक संशोधन हुए जो गांधी जी के विचारों के कारण आज महिला आत्म निर्भर हो गई है उसे अब अबला नहीं कहा जा सकता।

पंचायतो के गठन का विचार स्वतंत्रा से पूर्व गांधी जी के ग्राम स्वाराज्य के विचार से प्रेरित रहा है। भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण विकास के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए 96-97 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में 96-97 में अपनी सिफारिशें सरकार को दीं। जनवरी 96-97 में राष्ट्रीय विकास परिषद में बलवन्त राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिशों को मान्य करते हुए, राज्यों से इसे क्रियान्वित करने का कहा।

पंचायतो की तरह नगरपालिकाओं की स्थापना की सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है उसमें केवल यह अंतर है कि जहाँ पंचायतों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया जाता है, वहाँ नगरपालिकाओं की स्थापना नगरीय क्षेत्रों में की जाती है। समय के साथ जब पंचायतों की तरह नगर पालिकाओं की क्रियाशीलता में भी

शिथिलता आने लगी तो उन्हें पुनः सक्रिय बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया और ७४ वॉ संविधान संशोधित अधिनियम १९६२ द्वारा इसे समाहित किया गया। इसे २० अप्रैल १९६३ से प्रवर्तित कर दिया गया। नगरपालिकाओं के लिए संविधान में एक नया अध्याय १(क) जोड़ गया जिसमें अनुच्छेद २४३(त) से २४३(ह) तक समाहित किया गया साथ ही संविधान में एक दूसरी अनुसूची १२वीं अनुसूची को स्थान दिया गया। यह कार्य यह दर्शाता है कि गांधी के विचारों की २१ वीं सदी में प्रांसांगिकता ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की स्थापना एवं सत्ता विकेन्द्रीकरण में प्रभाव पड़ा है।

अस्पृश्यता निवारण में गांधी जी का योगदान :-

अस्पृश्यता की समस्या निराकरण की इच्छा गांधीजी को उद्विग्न किये थी। अस्पृश्यता को गांधी जी हिन्दू सामज पर लगा एक कलंक मानते थे। ईश्वर में आस्था रखने के कारण वह इस अन्याय को सदन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने नारी समाज को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। अगर स्त्रियों अब भी अछूतों को अपना कानी करेगी तो हमको इनसे भी ज्यादा मुसीबते उठानी पड़ेगी। गांधी जी अछूतों के उद्धार के लिए एक हरिजन कोष की स्थापना की थी।

हरिजन 26 जनवरी 1947:-

भारतीय समाज जाति व्यवस्था के कारण जो ऊँच नीच भेदभाव, अस्पृश्यता, अपमान अवसरों की असमानता तथा शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ापन जो व्याप्त है उसे कोई भी कल्याणकारी राज्य सहन नहीं कर सकता। अस्पृश्यता की समाप्ति, जाति के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था आदि अनेक विधियों को गांधी जी के विचारों के अनुसार अपनाया गया है जो भारतीय संविधान में उपबंधित है। अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन द्वारा १९३५ में प्रयोग में लाया गया। अम्बेडकर के अनुसार आदिकाल से भारत में इन्हें "भग्न पुरुष" या वाहय-जाति माना जाता था। अंग्रेज उन्हें दलित वर्ग कहते थे। १९३१ की जनगणना में उन्हें बाहरी जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन (ईश्वर के बालक) की संज्ञा से पुकारा। अस्पृश्य जाति में शिक्षित लोगों ने इसे नामकरण को स्वीकार नहीं किया, वे सोचते थे कि हरिजन कहकर असमानता को जन्म देने वाली व्यवस्था को समाप्त करने की अपेक्षा उनकी दशा में सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी साइमन कमीशन द्वारा उच्चारित किये गये शब्द का प्रयोग किया।

दलित (शूद्रों) पर ब्राम्हण काल या उत्तर वैदिक काल से ही अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे। उन्हें यज्ञशाला में जाने की अनुमति नहीं थी। खाती, लोहार और धोबी के वर्तनों को साफ करके दूसरे लोग प्रयोग करते थे, लेकिन शूद्र (चांडाल) द्वारा प्रयोग किए वर्तन कोई अन्य प्रयोग नहीं कर सकता था। ब्रिटिश काल की अवधि २० वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश निषेध था। गांधी ने उनके लिए पृथक कुएं थे। उनके प्रवेश के संदर्भ में महात्मा गांधी ने १९३३ में लिखा था कि मन्दिर प्रवेश ही एक ऐसा आध्यात्मिक कार्य जो अस्पृश्यों की स्वतंत्रता का संदेश होगा और उन्हें आश्वस्त करेगा कि ईश्वर के सामने जाति से बाहर नहीं हैं लेकिन एक वर्ष बाद उन्होंने लिखा कि उनकी कोई इच्छा नहीं है कि शूद्रों के लिए मंदिरों को खोला जाए जब तक हिन्दू जाति का मत इसके लिए एक पक कर तैयार न हो जाए। उन्होंने कहा कि यह हरिजनों को मंदिर प्रवेश के स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है बल्कि यह हिन्दू जाति के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे शूद्रों के मंदिर प्रवेश को सुनिश्चित करें।

मैला सफाई व्यवसाय के कारण हरिजनो के बहिष्कार के सन्दर्भ में गांधी जी ने कहा कि पैतृक व्यवसाय स्वभाविक व्यवस्था हो सकता है। लेकिन आदर्श प्रचलन नहीं। उन्होंने कहा कि आदर्श आधुनिक समाज के प्रजातान्त्रिक आदर्शों के अनुकूल भी नहीं है। उन्होंने व्यवसायिक गतिशीलता की सीमाओं का भी सन्दर्भ दिया। इस कथन की प्रतिक्रिया स्वरूप अम्बेडकर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा एक मेहतर को यह बताने का क्या लाभ है कि "एक ब्राम्हण भी मेहतर का काम करने को तैयार है जबकि यह स्पष्ट है कि भले ही ब्राम्हण सफाई का काम करे, वह उन नियोगताओं का शिकार कभी नहीं हो सकता जो जन्मजात मेहतर (भंगी) को भोगनी पड़ती है"। यह सत्य है कि भारत में व्यक्ति उच्च या निम्न प्रास्थिति अपने जन्म से प्राप्त करता है, न कि कार्य से। अतः मेहतरो के झूठे अभियान के समझ निवेदन करना या उन्हें प्रेरित करना और बताना कि सफाई करने का कार्य आदर्श कार्य है और उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, वास्तव में इन असहायो वर्गों की ही हँसी उड़ाना है।

महात्मा गांधी ने यद्यपि हरिजनों की समस्या को १९२४ से उठाया था किन्तु उससे पूर्व कुछ प्रयत्न किये गये थे। उनमें से प्रमुख प्रयत्न था। १९१६-१९२२ के बीच दलित वर्ग में शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अस्पृश्यता निवारण के लिए कुछ कार्य एवं योजनाएँ बनाई गयी थी तथा दूकानों एवं पूजा स्थलों में उन्हें प्रवेश के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए गये। महात्मा गांधी के प्रोत्साहन से १९२२ में चलाये गये बारदोली कार्यक्रम भी अस्पृश्यों के उत्थान का ही उद्देश्य था। १९३२ में अस्पृश्यों की सामाजिक नियोग्यताओं के निवारण हेतु हरिजन सेवक संघ गठित किया गया था।

गांधीजी के विचारों के कारण भारत के संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व-स्थिति को देखते हुए, भारतीय संविधान

के निर्मलाओं को दुर्बल वर्ग के लोगों, जिन्हें सदियों से सताया तथा दवाया गया, का विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों का विशेष ध्यान था। संवैधानिक उपबन्धों की भावना एवं गांधी के विचारों से सहमत होकर भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम १९८६ पारित किया। इस अधिनियम ने राष्ट्रपति की सम्मति ११ सितम्बर १९८६ को प्राप्त की तथा यह ३०.०१.१९८६ से प्रवृत्त हो गया। अब अस्पृश्यता या हरिजन पर अत्याचार करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आ गया है।

गांधी के विचारों की 21वीं सदी में प्रासंगिकता के कारण महिलाओं के उत्थान एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु भारत में निम्न अधिनियम पारित किये गये।

१. दहेज निरोध अधिनियम १९६१
२. कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण हेतु विशाखा राजस्थान के दिशा निर्देश
३. विशेष विवाह अधिनियम १९५४
४. विदेशी विवाह अधिनियम १९८६
५. विवाह विधि संशोधन १९७६
६. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम १९६१
७. महिलाओं का अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम १९८६
८. सती निवारण अधिनियम १९८७
९. घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
१०. राष्ट्रीय महिला आयोग १९९०
११. बाल विवाह अवरोध १९२६
१२. गर्भावती पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन रोकथाम अधिनियम २००२

इस प्रकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु उपरोक्त के अलावा बहुत से अधिनियम पारित किये गये हैं गांधीजी के विचारों की २१वीं शताब्दी में प्रासंगिकता है गांधी जी के विचार एवं सपनों को भारत सरकार कानूनी जामा पहनाकर पूर्ण करने का प्रयत्न कर रही है।

सारांश:-

२०वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उदय का काल था। १३ अप्रैल १९१६ को जलिया वाला बाग ने नृशंस हत्याकांड के बाद देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश फूट पड़ा था। इस जन आक्रोश को प्रभावी शक्ति के रूप में प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी ने १४ सितम्बर १९२० को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सत्याग्रह का प्रारम्भ किया। गांधी जी ने जनता से अनुरोध किया कि वह विदेशी सरकार का कतई साथ न दे और विदेश वस्त्रों और शराब का बहिष्कार करे। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग पकड़ा परन्तु ०४ फरवरी १९२२ को उग्र आन्दोलन कारियों ने गोरखपुर के चौरा-चौरा थाने में २२ पुलिस कर्मचारियों को जीवित जलाकर मार डाला। अहिंसा का रूप हिंसा ने ले लिया फलस्वरूप गांधी जी को ०६ वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई।

जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से सम्पर्क तोड़कर खादी ग्रामोद्योग मिशन संचालित किया उनकी स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी वस्त्रों की माँग ने चरखे, खादी और हैण्डलूम वस्त्रों को लोकप्रिय बनाया। घरों में महिलाएँ चक्की पर गेहूँ पीसते, हुए घर में तैयार आटे से भोजन बनाती व घर में चरख से काते सूत से वस्त्र बनाती। गांधी जी ने १९३० में डांडी यात्रा पर नमक का कानून तोड़ा और स्वयं नमक बनाया।

अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के धनी गांधी जी ने, समाज में "आबला कहे जाने वाली स्त्रियों के वर्ग को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास किये। वह स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हीं के प्रेरणा से सविनय अवज्ञा आन्दोलन व "असहयोग आन्दोलन" में स्त्रियों ने भाग लिया। गांधी जी दहेज प्रथा, बाल विवाह व छुआछूत प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने अर्न्तजातीय विवाह पर बल दिया। गांधी जी विचारों के प्रासंगिकता के कारण बाल विवाह विरोध अधिनियम १९२६ अर्न्तजातीय विवाह अधिनियम एवं संविधान के अनुच्छेद १७ में छुआछूत अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु प्रावधान रखे गये।

गांधी जी स्त्रियों को घर में रहकर घरेलू कार्यों को करने, बच्चों में सत्य, अहिंसा व आत्म विश्वास के संस्कार जगाने पर जोर देते थे। सादगी और सरलता मित्तव्ययता दृढ आत्मशक्ति और स्वतंत्रता आन्दोलन में बलिदान और सेवा भाव परोपकार, मर्यादा आदि गुणों से वह स्त्रियों को युक्त करना चाहते थे। गांधी जी ने समय समय पर अंग्रेज सरकार को महिलाओं की दशा में सुधार करने के प्रस्ताव भेजे थे।

महात्मा गांधी स्त्री को पूर्णातया भारतीय नारी की छवि में ढालना चाहते थे जो अबला न होकर आत्मनिर्भर व दुर्गा की तरह शक्ति और आत्मबल की प्रतिभूति हो। उन्होने अस्पृश्यता को हिन्दु धर्म का सबसे बड़ा कलंक माना है।

उन्होंने हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश दिलाया उनके साथ बैठकर प्रार्थना की परिपाटी आरंभ की। हरिजन सेवक संघ सर्वेन्ट्स ऑफ इन्डिया सोसयटी” गठन किया, जो हरिजनों के उत्थान के लिए अब कार्य करती है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के बाद यह कितनी दुखद स्थिति है कि महिलाओं के संरक्षण हेतु पर्याप्त कानून होने के बावजूद भी उनका शोषण तथा उनके विरुद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। महिलाओं के प्रति अत्याचार निवारण हेतु प्रभावी विधि व्यवस्था को सृजन करने के समय समय पर विधान सभा या संसद में प्रश्नों के माध्यम से विधायिकी के कानों में जब महिलाओं की करुण गूँज सुनाई दी तो इस गूँज को सादर स्वरूप देने की परिस्थिति में भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विविध विधानों का सृजन किया गया।

घर में शान्ति का वातावरण हो तभी महिला का विकास सम्भव है महिला के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि एक ऐसा वातावरण घर समाज में हो जो हिंसक न हो। महिला जब अपने नागरिक होने का अहसास करेगी तभी आगे उसके विकास के रास्ते खुलेंगे। सरकार प्रयत्नशील है सिर्फ महिलाओं को और जागृत करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :-

- १.यंग इन्डिया १० अप्रैल १९३० पेज १२१।
- २.यंग इन्डिया ०७ मई १९३० पेज ६६।
- ३.यंग इन्डिया १४ जनवरी १९३२ पेज १६।
- ४.ए.आई.आर. १९५२ इला. ७४६
- ५.हरिजन दिनांक ०३ जनवरी १९४७ पेज ४७८।
- ६.यूनीयन टी.के.एम गांधी एन्ड फ्री इन्डिया वोरा एन्ड कम्पनी बम्बई १९५६ पेज ६४।
- ७.हरिजन दिनांक ०५ जून १९३७ पेज १०।
- ८.यंग इन्डिया ०८ दिसम्बर १९२७ पेज २२६।
- ९.यंग इन्डिया २७ अगस्त १९२५।
- १०.हरिजन ०५ सितम्बर १९३६।
- ११.हिन्दी नवजीवन ०६ सितम्बर १९२८ पेज २४।
- १२.वर्मा, ताराचन्द्र गांधी जी और शिक्षा पेज ७१।
- १३.ए.आई.आर. १९६० एस.सी. २६२।
- १४.हिन्दी नवजीवन १२ सितम्बर १९२६ पेज २८।
- १५.ए.आई.आर. १९७६
- १६.हरिजन दिनांक ०५ मई १९४६ पेज ११८।
- १७.हरिजन २६ जनवरी १९४७।

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ International Scientific Journal Consortium
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org